पत्र सं०–5/पी०(नई यो०)–03/2024 12(5) पी० स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा मे,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 11/05/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना "पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रिंट, प्रचार, संगोष्ठी, कार्यशाला इत्यादि" अन्तर्गत विधान सभा सत्र में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विभागीय बजट पर चर्चा एवं बजट वक्तव्य के दौरान सामग्री वितरण हेतु कुल 35,98,260/–(पैंतीस लाख अनठानबे हजार दो सौ साठ) रूपये मात्र की लागत पर व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना "पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रिंट, प्रचार, संगोष्ठी, कार्यशाला इत्यादि" अन्तर्गत विधान सभा सत्र में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विभागीय बजट पर चर्चा एवं बजट वक्तव्य के दौरान सामग्री वितरण हेतु कुल 35,98,260/–(पैंतीस लाख अनठानबे हजार दो सौ साठ) रूपये मात्र की लागत पर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विभागीय बजट चर्चा के अवसर पर माननीय सदस्यों के बीच उपहार वितरण किए जाने हेतु सिविल सर्जन, राँची के पत्रांक–1311 दिनांक–26.03.2026 एवं विभागीय पत्रांक–89(5) दिनांक–24.02.2026 के द्वारा GeM Portal के माध्यम से निम्नलिखित सामग्री का क्रय किया गया है:–

SL.	Particulars	Quantity	Price	Total Amount (in Rs.)
1	Compressor Nebulizer Machine-with accessories	225	6,420	14,44,500
2	Dial B.P Monitor (Analog)			
3	Stethoscope			
4	Chargeble Body Gun Massager			
5	First Aid Kit			
6	Digital Glucometer with 50 test Stripes			
7	Anklet Pair			
8	Knee Cap Pair			
9	Accupressure Kit (Mat, Roller, Bracelet, Ring)			
10	Jute Bag with Chain			
11	Trolly	140	15,384	21,53,760
			Total Amount in Rs.	**35,98,260**

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

4. इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन राज्य योजना बजट मुख्यशीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–001–निदेशन और प्रशासन–94–पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रिंट, प्रचार, संगोष्ठी, कार्यशाला इत्यादि–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (विपत्र कोड–20एस 2210–01–001–94–00–07–59) के अधीन उपबंधित राशि से होगा।

5. आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो पारित विपत्र के आलोक में नियमानुसार राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे।

6. इस राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–1800 दिनांक–15.07.03 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।

8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय प्रतिवेदन ससमय महालेखाकार कार्यालय एवं विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 12(5) योजना दिनांक– 11/05/2026

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त सचिव, मुख्यालय स्थापना/बजट प्रशाखा–5, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
2. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. सिविल सर्जन, राँची।
4. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची।
5. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

12(5)यो
11/05/2026